Page No.
Date:

024

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2021/ ई.आर.बी-2/17(3)/4

नई दिल्ली, दिनांक 20.11.2024

तैनाती आदेश सं. - 191

विषय – सचिव निदेशालय के अंतर्गत टी.आई. कक्ष में व्हीकल फोरमैन के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 के पद पर अस्थाई आधार पर अंतरण तैनाती।

श्री पवन कुमार (Pavan Kumar), एस.एस.ई/सी.एंड.डबल्यू/भुसावल/मध्य रेलवे को सचिव निदेशालय के अंतर्गत टी.आई. कक्ष में व्हीकल फोरमैन (वेतन मैट्रिक्सं में लेवल-8) के अराजपत्रित बाह्य संवर्ग पद पर दिनांक 29.07.2024 (पूर्वा.) से अस्थाई अंतरण आधार पर तैनात किया जाता है। बोर्ड कार्यालय में वे निम्नलिखित शर्तों से शासित होंगे :-

(I) उन्हें वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में उनके मूल संवर्ग में समय-समय पर निर्धारित वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

टिप्पणी- उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए वेतन में मूल विभाग से प्राप्त विशेष वेतन, यदि कोई हो शामिल नहीं है।

(II) यह तैनाती पूर्ण रुप से अस्थाई होगी तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता न रहने पर उन्हें अपने मूल रेलवे में बिना किसी सूचना के वापस भेज दिया जाएगा।

(III) इस विभाग में उनकी अस्थाई अंतरण की अवधि के दौरान रेलवे में उनके मूल पद पर उनका लियन सुरक्षित रखा जाएगा। उन्हें अपने मूल संवर्ग में सभी चयनों और पदोन्नति हेतु ध्यान में रखा जाएगा, जैसा उन्हें रेलवे में सेवा के दौरान किया जाता है।

(IV) वे भारत सरकार, संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल आवास आवंटन के लिए शासित नियमों के अनुसार अपनी बारी आने पर आवास पाने के पात्र होंगे। वे शासित नियमों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित ट्रांजिट आवासों के भी पात्र होंगे। रेलवे आवास के संबंध में, यदि वे पहले ही से निवास कर रहें हों तो ध्यान इस मंत्रालय के दिनांक 01.06.2001 के पत्र सं.ई.(जी)2000/क्यू आर.1-23 की ओर दिलाया जाता है।

Signed by
Ujjwala Pandey
Date: 20-11-2024 11:01:45
उज्ज्वला पाण्डेय)
अवर सचिव (प्रशा.)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. महाप्रबंधक (का.), मध्य रेलवे, मुंबई।
2. मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल मंडल, मध्य रेलवे, भुसावल। (श्री पवन कुमार की सर्विस पंजिका, सेवा सत्यापन की प्रविष्टि सहित, अवकाश खाता, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा **एच.आर.एम.एस संबंधी सभी कार्यवाही परिपूर्ण कर** इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए)।
3. निदेशक/एम.ई.(पी.)-I, रेलवे बोर्ड।
4. वेतन एवं लेखा कार्यालय, रोकड़-2, ई आर बी-4, ई आर बी-6, टी.आई. कक्ष, सतर्कता(गो.), सं.स.(कक्ष), सा. (आ.), सा.(पास), संबंधित व्यक्ति एवं निजी फाइल (सं.12480)।
5. सी एंड आई एस को भारतीय रेल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।